न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बनेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज.)

: : मूल वाद मे अन्तिम डिक्री : :

{आदेश 20 नियम 6, 7 जा0दी0}

पीठासीन अधिकारी – श्रीमती प्रीति सिंह पंवार

(आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या 92/2012 राजस्व वादपत्र

अनवान

1 देउ पुत्री रूपा भील पत्नी श्रवण भील उम्र–वयस्क हाल निवासी माल का खेडा तहसील बनेडा जिला भीलवाडा

..... **वादीया**

बनाम

1 उगमा पिता रूपा भील उम्र–वयस्क निवासी देवा का खेडा तहसील बनेडा जिला भीलवाडा
2 छोगा पिता धन्ना भील उम्र–वयस्क निवासी देवा का खेडा तहसील बनेडा जिला भीलवाडा
3 राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार बनेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज.)

..... **प्रतिवादीगण**

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :::– श्री **कृष्ण कुमार जीनगर**.....**वकील वादीया**

दिनांक – 27.06.2019

वादीया का वादपत्र बहक वादीया विरूद्ध प्रतिवादीगण संख्या 01, 02 अन्तर्गत धारा 88–89–188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत स्वीकार किया जाकर वाके **ग्राम धामणिया पटवार हल्का निम्बाहेडाकंला तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा स्थित खतौनी संख्या 4 के आराजी संख्या 52, 165, 166, 168, 175/1, 175/3, 176, 177 कुल किता 8 कुल रकबा 08–15 बीघा, खतौनी संख्या 6 के आराजी संख्या 145/1, 164, 515/164, 518/52 किता 4 रकबा 03–09 बीघा एवं खतौनी संख्या 5 के आराजी संख्या 608/188 रकबा 06–17 बीघा** भूमि के राजस्व रेकार्ड में दुरूस्ती करा, उक्त आराजीयात में प्रतिवादी संख्या 01, 02 के साथ साथ वादीया का नाम हक हिस्से अनुसार बतौर सहखातेदार दर्ज करवाने व सहखातेदार काश्तकार घोषित किये जाने की आज्ञा पारित की जाती है, एवं इसी आशय की अन्तिम डिक्री पारित की जाती है। तथा साथ ही प्रतिवादी कम 01, 02 को स्थाई निषेद्याज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वादीया के हक हिस्से की आराजियात की भूमि में अनावश्यक दखलन्दाजी न तो स्वयं करें एवं न ही किसी अन्य से करावें। डिक्री की प्रति तहसीलदार बनेड़ा को पालनार्थ भिजवाई जावे। तहसीलदार बनेड़ा तद्नुसार राजस्व अभिलेखों में अमल दरामद करें। खर्चा फरिकेन अपना–अपना वहन करे।

यह डिक्री आज दिनांक 27.06.2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मोहर से जारी गयी।

(प्रीति सिंह पंवार)
उपखण्ड अधिकारी, बनेड़ा
जिला भीलवाड़ा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बनेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज.)

पीठासीन अधिकारी – श्रीमती प्रीति सिंह पंवार
(आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या 92/2012 राजस्व वादपत्र

अनवान

1 देउ पुत्री रूपा भील पत्नी श्रवण भील उम्र–वयस्क हाल निवासी माल का खेडा तहसील बनेडा जिला भीलवाडा

..... वादीया

बनाम

1 उगमा पिता रूपा भील उम्र–वयस्क निवासी देवा का खेडा तहसील बनेडा जिला भीलवाडा
2 छोगा पिता धन्ना भील उम्र–वयस्क निवासी देवा का खेडा तहसील बनेडा जिला भीलवाडा
3 राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार बनेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज.)

..... प्रतिवादीगण

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :::– श्री कृष्ण कुमार जीनगर.....वकील वादीया

–:: निर्णय ::–

दिनांक 27.06.2019

1 प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादीया ने एक वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण के इस आशय का प्रस्तुत किया कि ग्राम धामणिया पटवार हल्का निम्बाहेडाकंला तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा स्थित खतौनी संख्या 4 के आराजी संख्या 52, 165, 166, 168, 175/1, 175/3, 176, 177 कुल किता 8 कुल रकबा 08–15 बीघा, खतौनी संख्या 6 के आराजी संख्या 145/1, 164, 515/164, 518/52 किता 4 रकबा 03–09 बीघा एवं खतौनी संख्या 5 के आराजी संख्या 608/188 रकबा 06–17 बीघा भूमि जमाबन्दी सम्वत 2068 से 2071 में प्रतिवादीगण संख्या 01 व 02 के नाम पर बतौर संयुक्त खातेदारी हक से दर्ज रिकार्ड है। वादीया रूपा पिता धन्ना भील की जाईन्दा पूत्री व विपक्षी क्रम 01 की सगी बहन है। विवादित आराजीयात वादीया की मौरूशी सम्पति है, जिसमें वादीया का विपक्षी क्रम 01 के बराबर हक हिस्सा निहित है। हिन्दु उत्तराधिकर अधिनियम में वर्णित प्रावधानों के तहत वादीया का विवादित आराजीयात में बराबर हक आधिपत्य रखती है, जिस पर वादीया कार्बिज होकर निरन्तर उपयोग उपभोग करती चली आ रही है। किन्तु राजस्व कर्मचारीयों से मिलिभगत कर विवादित आराजियात को विपक्षी संख्या 0 ने स्वयं अपने नाम पर बतौर सह खातेदार दर्ज करवा लिया, जो कि कानून गलत है। अतः राजस्व रेकार्ड में दुरूस्ती करा, विवादित आराजीयात में प्रतिवा संख्या 01, 02 के साथ साथ वादीया का नाम बतौर सहखातेदार दर्ज करवाने सहखातेदार काश्तकार घोषित होने के अधिकारी है। तद्नुसार घौषणात्मक डि बहक वादीया विरूद्ध प्रतिवादीगण संख्या 01, 02 सादर फरमायी जावे। इसके

साथ स्थायी निषेधाज्ञा आशय की डिक्री बहक वादीया विरूद्ध प्रतिवादी संख्या 01, 02 पारित फरमाई जावें।

2 वादीगण द्वारा प्रस्तुत वादपत्र दिनांक 07.08.2012 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन/नोटिस मामले में वजह जाहिर करने हेतु तलब किया गया। दिनांक 27.09.2013 को सूचित होने के बावजूद विपक्षी क्रम 01, 02 नियत सुनवाई पर अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये जाकर पत्रावली को एकतरफा साक्ष्य वादी चरण हेतु नियत किया गया। वादीया की शहादत्त में गवाह वादीया ने साक्ष्य स्वरूप शपथपत्र प्रस्तुत किया, जिन पर लाल स्याही से पी.डब्ल्यू–1 का अंकन कर वादपत्र से संलग्न राजस्व आधार अभिलेख जमाबन्दी व मिलान खसरा आदि दस्तावेजात पर क्रमशः प्रदर्श–1 से प्रदर्श–7 के अंकन किये गये। वादी अधिवक्ता द्वारा प्रकरण में बहस प्रस्तुत करना चाहने से बहस एकपक्षीय सुनी गई। वादी ने प्रस्तुत वादपत्र के माध्यम से विभाजन आराजीयात की दाद भी चाही थी, पर उनके नियुक्त अधिवक्ता ने नियत सुनवाई पर विभाजन के अनुतोष को वादपत्र में से विलोपित किये जाने का अनुरोध न्यायालय के समक्ष किया व इसी आशय का अंकन आदेशिका पर पर किया, उनका निवेदन स्वीकार कर, वादपत्र से चाहे गये अनुतोष में से विभाजन की दाद को लाल स्याही से डिलीट किया गया। तत्पश्चात बहस के दौरान वादी अधिवक्ता द्वारा अपने द्वारा प्रस्तुत वादपत्र में वर्णित कलमों को दोहराते हुए निवेदन किया कि वादीया रूपा पिता धन्ना भील की जाईन्दा पूत्री व विपक्षी क्रम 01 की सगी बहन है। विवादित आराजीयात वादीया की मौरूशी सम्पति है, जिसमें वादीया का विपक्षी क्रम 01 के बराबर हक हिस्सा निहित है। हिन्दु उत्तराधिकर अधिनियम में वर्णित प्रावधानों के तहत वादीया का विवादित आराजीयात में बराबर हक आधिपत्य रखती है। अतः राजस्व रेकार्ड में दुरूस्ती करा, विवादित आराजीयात में प्रतिवादी संख्या 01, 02 के साथ साथ वादीया का नाम बतौर सहखातेदार दर्ज करवाने व सहखातेदार काश्तकार घोषित होने के अधिकारी है। तदनुसार घौषणात्मक डिक्री बहक वादीया विरूद्ध प्रतिवादीगण संख्या 01, 02 सादर फरमायी जावे। इसके साथ स्थायी निषेधाज्ञा आशय की डिक्री बहक वादीया विरूद्ध प्रतिवादी संख्या 01, 02 पारित फरमाई जावें।

3 अतः इस प्रकार प्रकरण का अधो–पांत अवलोकन करने से तथा वादीया द्वारा प्रस्तुत वादपत्र की ताईद मे प्रस्तुत शपथपत्र, एंव वादपत्र के समर्थन मे प्रस्तुत राजस्व आधार अभिलेखो के अध्ययन से अभिलेखो पर मनन करने के पश्चात वादीया का वादपत्र बहक वादीया विरूद्ध प्रतिवादीगण संख्या 01, 02 के स्वीकार किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है।

—::आदेश::—

वादीया का वादपत्र बहक वादीया विरूद्ध प्रतिवादीगण संख्या 01, 02 इस प्रकार स्वीकार किया जाता है कि वाके **ग्राम धामणिया पटवार हल्का निम्बाहेडाकंला तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा स्थित खतौनी संख्या 4 के आराजी संख्या 52, 165, 166, 168, 175/1, 175/3, 176, 177 कुल किता 8 कुल रकबा 08—15 बीघा, खतौनी संख्या 6 के आराजी संख्या 145/1, 164, 515/164, 518/52 किता 4 रकबा 03—09 बीघा एवं खतौनी संख्या 5 के आराजी संख्या 608/188 रकबा 06—17 बीघा** भूमि के राजस्व रेकार्ड में दुरूस्ती करा, उक्त आराजीयात में प्रतिवादी संख्या 01, 02 के साथ साथ वादीया का नाम हक हिस्से अनुसार बतौर सहखातेदार दर्ज करवाने व सहखातेदार काश्तकार घोषित किये जाने के आदेश पारित किये जाते है। इसी अनुसार राजस्व अभिलेखों में दुरूस्ती की जाकर राजस्व नक्शा ट्रेस में तरमीम की जावे। इसके साथ ही वादीया के उपयोग उपभोग में प्रतिवादी संख्या 01 व 02 किसी प्रकार की बाधा अथवा रूकावट उत्पन्न नही करे इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा से विपक्षीगण को पांबद किया जाता है । तद्नुसार आशय की अन्तिम डिक्री पर्चा तरतीब किया जावें। अंन्तिम डिक्री की प्रति तहसीलदार बनेड़ा को पालनार्थ भिजवाई जावे। खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करें।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर से कम की जाकर फैशल शुमार हो। निर्णय आज दिनांक 27.06.2019 को सरे ईजलास सुनाया गया।

(प्रीति सिंह पंवार)
उपखण्ड अधिकारी, बनेड़ा
जिला भीलवाड़ा